चतुर्दश माला, खंड 1, अंक 6

FOR REFERNCE ONLY.

बुधवार, 9 जून, 2004
19 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Acc. No. 57
Dated 8/2/05

(खण्ड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 6, बुधवार, 9 जून, 2004/19 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा त्याग-पत्र	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय	2
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-15
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन	15
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	16-18
उपाध्यक्ष महोदय को बधाई	
डा. मनमोहन सिंह	19
श्री प्रणब मुखर्जी.	19
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	20
श्रीमती सोनिया गांधी	20
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	21
श्री वसुदेव आचार्य .	21
श्री ए. कृष्णास्वामी .	21
श्री राम विलास पासवान . .	22
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव .	22
डा. एम. जगन्नाथ	22
श्री चन्द्रकांत खैरे	23
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	23
प्रो. राम गोपाल यादव .	24
श्री नीतीश कुमार	24
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा	24
श्री राजेश वर्मा .	25

विषय	कॉलम
श्री पी.के. वासुदेवन नायर	25
प्रो. एम. रामदास	25
श्री के. चन्द्रशेखर राव	26
श्री जोवाकिम बखला	26
कुमारी ममता बैनर्जी	26
श्री असादुद्दीन ओवेसी	28
डा. अरुण कुमार शर्मा	29
श्री शिबु सोरेन	30
श्री रामदास बंडु आठवले	30
श्री पी.सी. थामस	31
श्री पी.ए. संगमा	31
श्री वनलाल जावमा	32
अध्यक्ष महोदय	32
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों का धन्यवाद	34-37
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
''एयर स्ट्राइक डिले कॉस्ट लाइव्ज : कारगिल रिपोर्ट, संबंधी समाचार	37-39
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग का गठन करने तथा उनकी अन्य शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय माकन	40
(दो) राजस्थान के श्रीगंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के किसानों की वर्ष 1995 में वायुसेना द्वारा अधिगृहीत जमीन का पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री निहाल चन्द चौहान	41
(तीन) उत्तर प्रदेश में बरेली में फतेहगंज पश्चिम तथा मीरगंज में रेलवे उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष गंगवार	41

विषय		कॉलम
(चार)	राजस्थान के अजमेर-पुष्कर खंड पर बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. रासा सिंह रावत	42
(पांच)	महाराष्ट्र में जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सभी तहसीलों में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई.जी. महाजन	42
(छह)	केरल में कासरगोड के मराती समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. करुणाकरन	42
(सात)	जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनिल बसु .	43
(आठ)	उत्तर प्रदेश में फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बदना नदी से गाद निकालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अतीक अहमद .	44
(नौ)	भारत-नेपाल संयुक्त नदी घाटी परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद .	44
(दस)	महाराष्ट्र में सहकारी चीनी उद्योग की सहायता के लिए नई नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक . .	45
(ग्यारह)	तमिलनाडु में चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा अधिगृहीत भूमि के मालिकों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा उनके बच्चों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ई. पोन्नुस्वामी	45
(बारह)	आंध्र प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	डा. एम. जगन्नाथ . . .	46

विषय कॉलम

(तेरह) पश्चिम बंगाल में दुर्गादुरई मिनी टाइडल पावर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 46

(चौदह) असम सरकार के बाढ़ तथा भू-क्षरण नियंत्रण संबंधी सभी लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा . . 47

(पंद्रह) जम्मू-कश्मीर में औषधि अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन . . . 48

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

संशोधनों का पाठ 48-62

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष*

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका**

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री गिरिधर गमांग

श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*9.6.2004 को निर्वाचित।

**राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया :

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए०पी०जे० अब्दुल कलाम

भारत का राष्ट्रपति।''

लोक सभा

बुधवार, 9 जून, 2004/19 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे श्री लालू प्रसाद, जो बिहार में मधेपुरा और छपरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य निर्वाचित हुए थे, का दिनांक 9 जून, 2004 का पत्र प्राप्त हुआ है कि वे बिहार में मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से त्यागपत्र दे रहे हैं। मैंने दिनांक 9 जून, 2004 से, मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें जिन्होंने शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री लालू प्रसाद (छपरा)

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (पाटील) (वाशिम)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं आपको और आपके द्वारा सम्माननीय सभा को मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराना चाहता हूं:

श्री के. नटवर सिंह — विदेश मन्त्री

श्री हंस राज भारद्वाज — विधि और न्याय मन्त्री

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, जब तक दागी मंत्रियों के बारे में नहीं बताया जाता...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनि चौबे (बक्सर) : देश के प्रधानमंत्री को लाचार नहीं होना चाहिए अन्यथा देश में स्वेच्छाचारिता यानी अराजकता आ जाएगी।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : महोदय मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 2004 जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 272(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 18/04]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की

उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 19/04]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 20/04]

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 21/04]

(3) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 22/04]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 23/04]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 24/04]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 25/04]

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 26/04]

(तीन) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 27/04]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2004 जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 28/04]

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंटरकनेक्ट करार रजिस्टर (पहला संशोधन) विनियम, 2004 जो 4 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-11/2004/बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 29/04]

(दो) वीओआईपी आधारित अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा के लिए सेवा गुणवत्ता (पहला संशोधन) संबंधी विनियम, 2004 जो 22 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 402-30/2001-एफएन (पीटी) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 30/04]

(तीन) वीओआईपी आधारित अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा के लिए सेवा गुणवत्ता (तीसरा संशोधन) संबंधी विनियम, 2004 जो 16 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 402-30/2001-एफएन (पीटी) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 31/04]

(चार) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 जो 23 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-6/2002 ए एंड एल में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 32/04]

(पांच) वीओआईपी आधारित अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा के लिए सेवा गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) संबंधी विनियम, 2004 जो 4 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 402-30/2001-एफएन (पीटी) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 33/04]

(छह) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन और रिटर्न) संशोधन नियम, 2004 जो 27 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 34/04]

(सात) दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (तीसरा संशोधन) विनियम, 2003 जो 7 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा. सं. 409-5/2003-(एफएन) में प्रकाशित हुआ था।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 35/04]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदय, मैं मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2004 जो 10 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 111(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन और उसका एक शुद्धिपत्र जो 5 मार्च, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2004 जो 18 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.का.नि. 200(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 36/04]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 426(अ) जो 29 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पुणे और सतारा के बीच खंबटकी घाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने और उसे रखने के लिए मैसर्स आइडियल रोड बिल्डर्स लिमिटेड, दादर, मुम्बई को प्राधिकृत किया गया है तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 30 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 542(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 528(अ) जो 26 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 पर अंबाला-कालका रोड पर डेरा बस्सी के निकट पुल के उपयोगकर्ताओं से पथकर का संग्रहण करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 240(अ) से का.आ. 257(अ) जो 25 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(चार) का.आ. 527(अ) जो 23 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 571(अ) जो 13 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1181 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ. 597(अ) जो 18 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 710 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ. 372(अ) जो 19 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष जिला राजस्व अधिकारी, कोयंबटूर, तमिल जिला को तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम-कोच्चि खंड) पर भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(आठ) का.आ. 387(अ) जो 22 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के वेल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (तम्बारम-तिंडीवनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 390(अ) जो 24 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (त्रिची बाईपास एंड-मदुरै खंड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 396(अ) जो 26 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के बुन्दी राजकोट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख पर बाईपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 435(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 923(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 436 (अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर राप्ती पुल सहित गोरखपुर बाईपास के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 438(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 सितंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1013(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 440(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा–मुजफ्फरपुर) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 463(अ) जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60

(लक्ष्मणनाथ से खड़गपुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 464(अ) जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 492(अ) जो 13 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1285(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ. 493(अ) जो 13 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली—विरालिमलाई—मदुरै खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 495(अ) जो 13 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरी—रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 516(अ) जो 21 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (विल्लुपुरम बाईपास भाग) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 517(अ) जो 21 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सब-डिवीजनल अधिकारी (सदर), जिला नगांव असम को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 और 37 पर भूमि का अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(बाईस) का.आ. 518(अ) जो 21 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नगांव बाईपास) के विकास, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 531(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हरिहर से बेलगाम बाईपास खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 532(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 834(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 533(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 और 79 (एक्सेस कंट्रोल्ड चित्तौड़गढ़ बाईपास) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 535(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 962(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 536(अ) जो 27 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (भुवनेश्वर—कोलकाता खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 545(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई—रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 546(अ) जो 30 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (सिलचर—हरंगजो खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 547(अ) जो 6 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क (बामनबोरे-सामख्याली खंड) का निर्माण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सामख्याली-राधनपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 548 (अ) जो 6 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क और 8 ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 549 (अ) जो 6 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 क और 8 ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेंतीस) का.आ. 564 (अ) जो 11 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ख को चार लेन वाला बनाने तथा उस पर बाईपास का निर्माण करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौतीस) का.आ. 153 (अ) जो 3 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में अमरावती बाईपास के उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाली शुल्क की दर के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 384 (अ) जो 20 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 439 (अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-मुजफ्फरपुर) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 441(अ) जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा-मुजफ्फरपुर) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 443 (अ) जो 1 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ख (पोरबंदर से राजकोट जिला सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 465 (अ) जो 6 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 490 (अ) और 491 (अ) जो 13 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और 79क पर 'ट्रम्पेट इंटरचेंज' का निर्माण, करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में हैं।

(इकतालीस) का.आ. 494 (अ) जो 13 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 539 (अ) जो 28 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 9 पर अधिसूचना में उल्लिखित विभिन्न भागों के उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दर के बारे में है।

(तैतालीस) का.आ. 1425 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (बामनबोर-सामख्याली खंड) का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सामख्याली-राधनपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौवालीस) का.आ. 1426 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14

(दीसा-राधनपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1427 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिले कच्छ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 1428 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (बामनबोर-सामख्याली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सामख्याली-राधनपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सैतालीस) का.आ. 1429 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिले कच्छ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1430(अ) जो 17 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के (दीसा-राधनपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1451(अ) से का.आ. 1455 (अ) जो 22 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(4) उपर्युक्त मद (3) के (तैंतालीस से उनचास) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 37/04]

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 572(अ) जो 13 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 38/04]

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2004 जो 13 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 39/04]

(7) (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 की धारा 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 40/04]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2003 में किए गए अन्तरोंधनों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 41/04]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अखिलेश सिंह) : महोदय, मैं चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2004 जो 23 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 72(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 42/04]

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन करने वाले सदस्य द्वारा कल अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात् अध्यक्षपीठ ने घोषणा की थी जिसमें सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे जिन संशोधनों को पेश करना चाहते हैं उनका क्रमांक दर्शाते हुए पर्ची 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भिजवाकर उन संशोधनों को पेश करें।

सभा में व्याप्त परिस्थितियों के कारण सभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी थी अतः अधिकतर सदस्यों को अपने संशोधन पेश करने का अवसर नहीं मिल सका था।

जो सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं वे अब 15 मिनट के भीतर उन संशोधनों का क्रमांक दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर पर्चियां सभा पटल पर भिजवा सकते है जिन्हें वे पेश करना चाहते है। केवल उन संशोधनों को पेश किया गया समझा जाएगा।

इसके पश्चात् पेश किए गए समझे गए संशोधनों का क्रमांक दर्शाने वाली सूची सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में विसंगति पाता तो वह इसकी सूचना अविलंब पटल के ध्यान में लाए।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय : अब हम उपाध्यक्ष के निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य को लेते हैं। हम उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्तावों को लेगें। अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, जो वाजपेयी जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकता दक्षिण) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रो. राम गोपाल यादव जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं:

[अनुवाद]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति देता हूं। लेकिन इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री सुखबीर सिंह बादल : महोदय, डा. रत्तन सिंह अजनाला की ओर से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत तथा श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा समर्थित प्रस्ताव सभा के विचाराधीन है। मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दलों के नेता श्री चरणजीत सिंह अटवाल को अध्यक्षपीठ तक ले जाएं।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी तथा विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी श्री चरणजीत सिंह अटवाल को अध्यक्षपीठ तक ले गए।)

पूर्वाह्न 11.10 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय को बधाई

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : लोक सभा के उपाध्यक्ष के गरिमामय पद पर श्री चरणजीत सिंह अटवाल के सर्वसम्मति से चुने जाने पर मुझे उनका अभिनन्दन करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

महोदय, आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष तथा श्री अटवाल को उपाध्यक्ष चुने जाने पर अत्यधिक संतोष की अनुभूति के अलावा हम सभी को इस बात पर और भी प्रसन्नता हो रही है कि इस सभा के विचार-विमर्श में सक्षम और उत्कृष्ट सांसदों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्री अटवाल ने केवल पांच वर्षों तक पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष ही रहे अपितु, वह विधान सभा और हमारी संसद के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्री अटवाल लम्बे समय तक राष्ट्रकुल संसदीय संघ से जुड़े रहे तथा सांसदों और विधानमंडलों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी से उन्हें वस्तुत: एक वैश्विक दृष्टि प्राप्त हुई। संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के उनके गहन ज्ञान और समझ से इस सदन के सदस्यों को बहुत अधिक लाभ होगा। इस सदन में अनेक सदस्य जो पहली बार चुन कर आए हैं, वे भी हमारे साथ इस सम्मानित सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के हमारे सामूहिक प्रयास में भी श्री अटवाल जैसे वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन और परामर्श की अपेक्षा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर श्री अटवाल को बधाई देता हूं। मैं अपनी पार्टी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग के आश्वासन के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री चरणजीत सिंह अटवाल के चुने जाने पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ-साथ मैं भी उन्हें बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष के सर्वसम्मत चुनाव से हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता का पता चलता है।

यह ठीक ही कहा गया है कि श्री अटवाल को पीठासीन अधिकारी के रूप में अत्यंत व्यापक अनुभव प्राप्त है क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष के रूप में पंजाब विधान सभा का संचालन किया है। इस सभा के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंचों पर उन्होंने अपनी उपस्थिति का आभास कराया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस गरिमामय पद को धारण करने के पश्चात् सभा की कार्यवाही को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और वह मेरे सहित अनेक सदस्यों के लिए आवश्यक परामर्श और मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे जो इस सभा में पहली बार चुन कर आए हैं। मैं एक बार फिर उन्हें बधाई देता हूं और अपनी ओर से उन्हें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधान मंत्री जी और सदन के नेता ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, उनके विचारों के साथ मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए सरदार चरणजीत सिंह अटवाल जी को उपाध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि अटवाल जी के चुनाव से पहले जिस परम्परा का आरम्भ सदन में आपके चुनाव से हमने किया, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। आपके चुनाव से पहले जो अध्यक्ष बने, वे भी निर्विरोध बने थे लेकिन निर्विरोध बनने में और सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने में थोड़ा अंतर है। आपको सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुनकर और आज श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी के केस में भी उनको सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुनकर हमने इस परम्परा का पालन किया है। बहुत बार इस उच्च पद पर बैठने वाले लोग पहली बार यह दायित्व संभालते है, लेकिन अटवाल जी उनमें से नहीं हैं। वे पंजाब विधान सभा में स्पीकर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। इस कारण इस स्थान पर बैठकर सदन का संचालन करने का उनको अभ्यास है। एक बार पहले भी आठवीं लोक सभा में वे रोपड़ से चुने गये थे और इस बार फिल्लौर से चुने गये हैं। तब भी उन्होंने शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्ज और बैकवार्ड क्लास की जो कमेटी थी उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया। समाज के पिछड़े हुए वर्गों के प्रति उनकी जो लगन रही है, उनकी जो उन्होंने सेवा की है, उसके कारण भी वे अपने दायित्व को प्रभावशाली ढंग से निभा पायेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारा पूरा सहयोग उन्हें मिलता रहेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरदार चरणजीत सिंह अटवाल को नए उपाध्यक्ष चुने जाने के लिए बधाई देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनका पंजाब विधानसभा तथा लोकसभा दोनों में ही उत्कृष्ठ राजनीतिक कार्यकाल रहा है। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व भी किया। उनकी रूचि और लगाव का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समाज सेवक के रूप में उनका प्रशंसनीय रिकार्ड सर्वविदित है। हमें, इस सभा में उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और मुझे पक्का विश्वास है कि हमें उनके अनुभव का लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा पार्टी की ओर से उन्हें आश्वासन देना चाहती हूं कि हम उन्हें पूर्ण सहयोग देंगें तथा हम उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, श्री अटवाल जी के सर्वसम्मत निर्वाचन पर मैं उन्हें बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके सहयोग से सदन की कार्यवाही का ठीक तरह से संचालन करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष जी, आज श्री चरणजीत सिंह अटवाल लोक सभा के उपाध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गये हैं। हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से और हमारे तमाम प्लेटफार्म्स की ओर से मैं उनको बधाई दे रहा हूं।

मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस सभा को चलाने में हमारा जितना सहयोग चाहिए, वह हम लोगों की ओर से पूरा मिलेगा। श्री चरणजीत सिंह अटवाल संसदीय राजनीति में नए नहीं हैं। हम लोक सभा में एक साथ थे। हमने देखा है कि वह हर मामले में इस सभा में सक्रिय ढंग से भाग लेते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उन्होंने पांच साल तक पंजाब विधान सभा का सफलता के साथ परिचालन भी किया। हम उम्मीद करते हैं कि वह लोक सभा के डैकोरम और डिग्निटी की रक्षा करेंगे। यहां जो आधा फीसदी नए सदस्य हैं, वह उनकी तरफ ध्यान देंगे। मैं उनकी हर तरफ से सफलता की कामना करते हुए उन्हें एक बार फिर सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई और अभिनन्दन देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : महोदय, सरदार चरणजीत सिंह अटवाल को इस सम्माननीय सभा का माननीय उपाध्यक्ष चुना गया है। मैं, अपनी पार्टी, द्रमुक पार्टी के नेता डा. कैलैंगर करूणानिधि की ओर से तथा अपनी ओर से भी उन्हें बधाई देता हूं।

सरदार चरणजीत सिंह अटवाल पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे। इसके अलावा वह बहुत अनुभवी सांसद है क्योंकि वह आठवीं लोक सभा में भी सदस्य थे। उन्होंने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की, विधिवत् वकालत की शिक्षा प्राप्त की तथा वह सही मायने में सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं।

महोदय, मैं तमिलनाडु के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, श्री पेरूम्बुदूर से निर्वाचित हुआ हूं। मुझे बहुत गर्व है कि दलित समुदाय का सदस्य इस सभा के उच्चतम आसन हेतु, निर्वाचित हुआ है।

मुझे आशा है कि सरदार चरणजीत सिंह अटवाल चौदहवीं लोक सभा के सफल उपाध्यक्ष होंगे। मैं एक बार पुन: उन्हें बधाई, अपनी शुभकामनाएं देता हूं तथा हमारी ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष जी, श्री चरणजीत सिंह अटवाल के सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारा उनके साथ बहुत पुराना सम्बन्ध रहा है। हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों के लिए एक मंच पर एक साथ बैठ कर उनकी रक्षा करने का काम किया। मुझे खुशी है कि इन्होंने पंजाब के स्पीकर की हैसियत से एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच-पांच बार पूरे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति के एमपीज और विधायकों की बैठक बुलायी थी और उनमें हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सारी चीजें परिलक्षित हो गई है।

अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि आपके और इनके नेतृत्व में उन सारे कार्यक्रमों को संसद में लागू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं।

श्री देवैन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद की ओर से श्री चरणजीत सिंह अटवाल के सर्वसम्मति से और निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

इस प्रकार सर्वसम्मति से चुने जाने की परिपाटी से संसदीय लोकतंत्र को बल मिला है। इससे एक स्वस्थ परम्परा की नींव मजबूत हुई है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उपाध्यक्ष महोदय इस न्याय के आसन पर बैठकर अपनी न्याय बुद्धि से पूरी तरह निष्पक्षता बरतते हुये सदन की गरिमा को बनाते हुये सदन का सुचारु रूप से संचालन करने में सफल होंगे। इस कार्य में हमारी पार्टी का पूरा सहयोग होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अटवाल जी को पुन: बधाई देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगरकुरनूल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से तथा मेरी पार्टी, तदेपा की ओर से श्री चरणजीत सिंह अटवाल को इस सभा का सर्वसम्मत उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक

[डा. एम. जगन्नाथ]

बधाई देता हूं। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उनका अनुभव तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सदस्यों से मित्रता से इस सभा के सदस्यों को सहायता मिलेगी।

मैं अपने दल की ओर से तथा अपनी ओर से आश्वासन देता हूं कि हम इस सभा के सुचारू रूप से संचालन में पूर्ण सहयोग देंगे। उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए मैं एक बार फिर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, सरदार चरणजीत सिंह अटवाल सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने गये हैं, मैं शिवसेना पार्टी की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। एन.डी.ए. की ओर से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री आडवाणी जी, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने अलायंस के घटक दल को इस पद के लिये मौका दिया है, इसके लिये मैं माननीय बालासाहेब ठाकरे, जो शिवसेना के प्रमुख हैं, की ओर से उन्हें बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री अटवाल बहुत ही अनुभवी हैं। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिये अच्छा काम किया है और यहां सांसद भी रहे हैं। उनके बुद्धिवान होने के कारण, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार श्री पी.एम.सईद, उपाध्यक्ष होने के नाते हमें बोलने का मौका देते थे, उसी प्रकार वह भी हमारी पार्टी को बोलने का अवश्य मौका देंगे। हम भी उन्हें सहयोग देते रहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुनः उन्हें तथा आपको बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा, मेरी पार्टी, बीजू जनता दल का सौभाग्य है कि हम श्री चरणजीत सिंह अटवाल को इस सम्माननीय सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दे रहे हैं। श्री अटवाल को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काफी अनुभव है। उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है।

उपाध्यक्ष के रूप में उनका लम्बा अनुभव इस सभा के संचालन को सुगम बनाएगा।

मैं, अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इस सभा के कार्यसंचालन में पूर्ण समर्थन तथा इसके शिष्टाचार और गरिमा को बनाए रखने में सहायता देने का आश्वासन देता हूं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, माननीय अटवाल साहब के लोक सभा के डिप्टी स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और अपने दल समाजवादी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं। यद्यपि, आपको यहां पहले यह आश्वासन दिया गया था और आज भी दिया जा रहा है, उन पर किसी को भरोसा नहीं रहा, फिर भी मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी द्वारा आपको तथा उपाध्यक्ष जी को सदन का संचालन करने में पूरा सहयोग दिया जायेगा।

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्री अटवाल जी के आज सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर बधाई देना चाहता हूं। आज लोक सभा का दृश्य बहुत सुन्दर है। माननीय प्रधान मंत्री के आसन के ठीक सामने उपाध्यक्ष महोदय के बैठने की जगह होती है। जब हम दोनों तरफ पगड़ी देखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही आपका सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ था। इसी प्रकार उपाध्यक्ष के पद का सर्वसम्मति से निर्वाचन होने से एक नई परम्परा की शुरुआत हो रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय आपने उस दिन कहा था कि मैं लैफ्टिस्ट हूं, इसलिए हमेशा लैफ्ट की तरफ झुका रहूंगा। आपके लैफ्ट में हम लोग हैं मगर कल आप इधर झुके हुए नहीं थे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने वचन पर कायम रहेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष की नियति है कि उसे हमेशा गलत समझा जाता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप अपने वचन पर कायम रहने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जिस प्रकार से हम सबने आपको सहयोग देने का वचन दिया है, उसी प्रकार से हम सब उपाध्यक्ष महोदय का भी सहयोग करेंगे।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे डबल खुशी हो रही है क्योंकि आज सर्वसम्मति से मेरी पार्टी से एक

लीडर को डिप्टी स्पीकर चुना गया है। आप भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुने गये और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन भी सर्वसम्मति से दी गई है। मैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, शिवसेना, जे.डी.(यू.) और हमारे सारे एलाइज का आभारी हूं कि आपने हमारी छोटी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुना है।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल ने एक दलित परिवार में पैदा होकर एल.एल.बी. की और उसके बाद इन्होंने पंजाब में सेवा की, जहां यह पंजाब, विधान सभा के स्पीकर रहे। हम लोग बहुत समय से एक साथ एक पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोग पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी में इकट्ठे हैं। हमारे प्रेसीडैन्ट, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी इसके चयन के लिए रिक्वैस्ट की, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं प्रधान मंत्री जी, लीडर ऑफ दि हाउस और दूसरी सभी पार्टियों का भी आभारी हूं कि उन्होंने सर्वसम्मति से हमारे नेतो को डिप्टी स्पीकर चुना है। क्योंकि आप हमारी पार्टी से हैं, इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुजन समाज पार्टी तथा अपनी ओर से श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी के सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी आपको हर तरीके से पूरा रचनात्मक समर्थन देगी।

[अनुवाद]

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरूअनन्तपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी को प्रसन्नता है कि श्री चरणजीत सिंह अटवाल को इस सम्माननीय सभा का सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया है। वह बहुत अनुभवी पीठासीन अधिकारी हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन देता हूं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष अटवाल जी को बधाई देना तमिलनाडु की पट्टाली मक्कल काट्ची के लिए सौभाग्य की बात है। उनका निर्वाचन लोक सभा के लिए शुभ लक्षण है। यह हम सभी के लिए संतोष की बात है कि दूसरी बार चौदहवीं लोक सभा ने सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया है—पहली बार आपको अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करके तथा दूसरी बार लोक सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित करके। हमने विपक्ष के सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित करके तथा सत्तारूढ़ गठबंधन से अध्यक्ष चुन लोकतंत्र की उच्चतम परम्परा दिखाई है। अटवाल जी के चुनाव में सामाजिक निहितार्थ है। दलित समुदाय का सदस्य चुन कर हम इस देश की जनता को सही संदेश भेज रहे हैं तथा कुल मिलाकर जनता का विश्वास भी जीत रहे हैं।

वह बहुत ईमानदार और समर्पित सांसद है जिन्होंने विगत में बुद्धिमता और संवेदनशीलता के सर्वगुणों का प्रदर्शन किया है और हमें आशा है कि उनके अनुभव से आपके प्रयासों को बढ़ावा मिल पाएगा तथा इस सभा में विचार-विमर्श में काफी योगदान मिलेगा।

महोदय, मैं मेरी पार्टी पट्टाली मक्कल काट्ची के नेता तथा अपनी ओर से श्री चरणजीत सिंह अटवाल को इस सभा का सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

निर्विभाग मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी को सर्वसम्मति से और निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी पार्टी का पूरा सहयोग उनके साथ होगा। फिर एक बार मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, चौदहवीं लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए मैं माननीय चरणजीत सिंह अटवाल जी को अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी आर. एस.पी. की ओर से बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पद के लिए आपका निर्वाचन सर्वसम्मति से और निर्विरोध हुआ और इसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से किया, यह बहुत बड़ी बात है। यह एक ऐतिहासिक घटना इस माननीय सदन में घटी है जो हमारे लिए खुशी की बात है। मैं उपाध्यक्ष महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा और जो तूफान इस सदन में उठेंगे, उन तूफानों को कारगर रूप से शांत करने का काम उपाध्यक्ष के रूप में आप कर सकेंगे। आप अध्यक्ष महोदय की मदद भी सफलतापूर्वक कर सकेंगे एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से चरणजीत सिंह अटवाल जी को बधाई देना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर है। कृपया सभा में शान्ति बनाए रखिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी : क्या कोई एतराज है।

[अनुवाद]

महोदय यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। जब दूसरे पक्ष से सदस्य बोले थे तो हमनें व्यवधान नहीं डाला था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि शान्त रहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी और रूलिंग अलायंस को बधाई देना चाहती हूं कि अटल जी ने जो मोशन प्रपोज किया है, उसका सभी ने समर्थन किया। पिछली लोक सभा में भी मुझे याद है कि जब एनडीए की सरकार सत्ता में थी तो श्री पी.एम. सईद जी को भी हमने कनसैन्सस से डिप्टी स्पीकर बनाया था।

आज मुझे रवीन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय गान की एक पंक्ति याद आती है। जब उन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था तो उन्होंने कहा था—''पंजाब, सिंधु, गुजरात मराठा, द्राविड़, उत्कल बंगा'' रवीन्द्रनाथ टैगारे ने पंजाब से शुरू किया था और पंजाब के डिप्टी स्पीकर बनने से हमारे देश की इज्जत आज बहुत बढ़ गई है।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री जी भी पंजाब से हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, यह वाद-विवाद नहीं है। यह अत्यंत पुनीत अवसर हैं। कृपया सदस्य को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया शांत रहिए। यह वाद-विवाद नहीं है। यह तो अत्यंत पुनीत अवसर है।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी : हमने अभी कुछ ऐसा नहीं कहा है। हमें बोलने तो दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी : मैं कहना चाहती थी लेकिन उन्होंने बोलने नहीं दिया कि मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री बने और वह भी पंजाब के हैं। हमारे अटवाल जी भी डिप्टी स्पीकर बने। आज पंजाब के आदमी को ज्यादा खुशी है, लेकिन हर हिन्दुस्तानी आज खुश है। पंजाब के साथ बंगाल का रिश्ता आजादी के पहले से है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी बधाई देती हूं।

महोदय, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि आप अपोजीशन का भी ध्यान रखें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना कर्त्तव्य याद दिलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से मैं श्री अटवाल के सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। महोदय, यह हमारी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सफलता है कि हमारे प्रधानमंत्री...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह उपाध्यक्ष के चुनाव का महत्वपूर्ण अवसर है माननीय सदस्य उन्हें बधाई दे रहे हैं। कृपया उनके बोलने में व्यवधान मत डालिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदय, यह हमारी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सफलता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। मैं तो यही कह सकता हूं ''भारतीय धर्मनिरपेक्षता जिन्दाबाद, धर्मनिरपेक्ष ताकतें जिन्दाबाद।''

मैं उपाध्यक्ष महोदय को एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि जिस प्रकार इस सम्माननीय सभा में अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों संबंधी संसदीय समिति है उसी प्रकार उनके कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए भी संसदीय समिति गठित की जाएगी।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक पुनीत अवसर है और मधुर शब्द कहे गए हैं एक नए निर्वाचित सदस्य के रूप में अध्यक्षपीठ के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा किए गए आक्षेप को सुनकर मुझे कल बहुत दुख हुआ। मैं उसपर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूं।... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, यह अवसर ऐसी बातें करने का नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे नए सदस्य हैं। मैं आप सभी से साग्रह निवेदन करता हूं कि उनकी बात सुनिए। श्री ओवेसी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदय, मैं यहां आडम्बरी नहीं बनना चाहता हूं। मैं तो कह रहा था कि मुझे वह सुन कर दुख हुआ था। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे नए सदस्य हैं और अपना पहला भाषण दे रहे हैं। कृपया उन्हें परेशान मत कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : महोदय, मैं तो बस इतना कह रहा था कि मुझे कुछ सदस्यों द्वारा अध्यक्षपीठ के बारे में किए गए आक्षेप को सुनकर दुख हुआ था इस प्रकार के पुनीत अवसर पर सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है और मैं आशा करता हूं कि हम यहां प्रयोग किए गए मधुर शब्दों का अनुसरण करेंगे।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, अपने दल असम गण परिषद और अपनी ओर से मैं श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी को इस सभा का उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने पर बधाई देता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पूरी सभा और बड़े राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणी अकाली दल के व्यक्ति में विश्वास व्यक्त किया है। क्षेत्रीय दल का सदस्य होने के नाते उनको उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाने पर मैं पूरी सभा को धन्यवाद देता हूं। अपने दल की ओर से मैं आश्वास्त देता हूं कि हम श्री अटवाल जी को पूरा सहयोग देंगे और मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

कोयला और खान मंत्री (श्री शिबु सोरेन) : अध्यक्ष महोदय, श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी के निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से बधाई देते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे दल के लोगों को उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा।

महोदय, विशेष ध्यान देने की बात यह है कि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और हमेशा देश में नीचे के तबके के लोगों की बात बराबर सदन में कही जाती है। उसी के लिए यहां विवाद होता है और कानून बनते रहते हैं। आपके उपाध्यक्ष पद पर आसीन होने की वजह से हमें आशा है कि जितने भी इस प्रकार के सांसद इस सदन में बैठे हैं, उनके ऊपर आप अवश्य ध्यान देंगे क्योंकि उनका जीवन चरित्र उसी प्रकार का है जिस प्रकार का इस देश के उपेक्षित लोगों का है, जिनकी बात सुनी नहीं जाती है, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसे लोगों की बात को पूरी तरह से सुनेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे।

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष का पद मिला है, इसलिए मैं अपनी ओर से और अपनी रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया की ओर से उन्हें इस पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

महोदय, मुझे एवं मेरी पार्टी के लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि एक शेडयूल्य कास्ट परिवार के व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया गया है। वे पंजाब के अटवाल हैं और मैं महाराष्ट्र का आठवले हूं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि श्री जी.एम.सी. बालयोगी भी शेडयूल्डकास्ट थे जो यहां स्पीकर रहे और आज आप उपाध्यक्ष बने हैं। यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है।

महोदय, अगर आप यहां होते, तो उपाध्यक्ष पद के लिए आपका नाम इधर से जाता, लेकिन आप यहां नहीं हैं, वहां हैं। इसलिए माननीय अटल जी और आडवाणी जी ने आपके नाम का प्रस्ताव और अनुमोदन किया। हाउस का पूरा सहयोग आपके लिए रहेगा क्योंकि हमें सरकार चलानी है और हमें यदि सरकार चलानी है, तो आपको सहयोग देना ही होगा। हमारे सहयोग की कोई प्रोब्लम नहीं है। सभी लोगों का आपको सहयोग चाहिए, नहीं तो हाउस चलना मुश्किल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस हाउस को चलाने के लिए हमारी पार्टी पूरा-पूरा सहयोग देने का प्रयत्न करेगी। हमारे यहां के सभी लोग आपको बधाई

[श्री रामदास बंडु आठवले]

देते हैं। आप अच्छी तरह हाउस चलाएं। यह सरकार पांच साल तक चलने वाली है, इसमें कोई प्रोबलम नहीं है। आप भी पांच साल तक यहां के उपाध्यक्ष रहेंगे, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आप इस हाउस का काम-काज अच्छी तरह चलाएंगे, लोगों की भलाई करने के लिए, एससी, एसटी का भला करने के लिए, जब-जब इस तरह के इशुज आएंगे, तब-तब आप मुझे ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो हाउस ठीक चलेगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको पुनः बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से माननीय चरणजीत सिंह जी को इस माननीय सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाने पर बधाई देता हूं और उन्हें भरपूर सहयोग दिये जाने का भी आश्वासन देता हूं।

महोदय, मेरा मानना है कि इस सभा की गरिमा को बनाए रखने में आपको समर्थन देने में वे एक सशक्त स्तम्भ सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि अपने साहस और देशभक्ति और सिख समुदाय की दिलेरी और देशभक्ति को देखते हुए सिख समुदाय को यह सम्मान दिया गया है। मैं अत्यन्त गौरवान्वित और प्रसन्न हूं कि उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुने गए हैं।

श्री पी.ए. संगमा (तुर्रा) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह पद विपक्ष को दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री और सत्तापक्ष को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की उत्कृष्ट परम्परा को बनाए रखा। विपक्ष को यह पद देकर, राजग में सबसे बड़ा दल होते हुए भा.ज.पा. यह पद अपने पास रख सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गठबंधन के छोटे दलों को समायोजित करने और उन्हें मान्यता देने की भावना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे भा.ज.पा. विशेषकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी को बधाई देता हूं जिन पर यह निर्णय छोड़ दिया गया था। इस सम्मान के लिए मैं अकाली दल को बधाई देता हूं और श्री अटवाल को अपना प्रत्याशी चुनने के लिए अकाली दल को धन्यवाद देता हूं।

मैं सफलता हूं कि इस सभा के कम सदस्य ही श्री अटवाल को उतना जानते हैं जितना मैं जानता हूं हमें लम्बे समय तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में साथ कार्य करने का अवसर मिला। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में श्री अटवाल ने हमें गौरवान्वित किया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन विशेषकर कार्यकारी समिति के सन्मुख मामलों को निपटाने और प्रस्तुत करने के उनके शानदार तरीके को अन्तर्राष्ट्रीय दर्शकों द्वारा भी स्वीकार किया गया कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में हमें साथ-साथ विश्व के कई देशों का दौरा करने का अवसर भी मिला और कई वार जब अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण में कुछ बैठकों में भाग नहीं ले पाता था तो मुझे हमेशा विश्वास रहता था कि अटवाल जी वहां भारत का प्रतिनिधित्व गरिमापूर्ण ढंग से कर रहे होंगे।

आज, मैं व्यक्तिगत रूप से गौरवान्वित महसूस करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उनके कार्य को देखते हुए वे इस पद हेतु पूर्णतः योग्य हैं।

मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम) : अध्यक्ष महोदय मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं, अपने दल, मिजोरम के मिजो नेशनल फ्रंट और अपनी ओर से श्री चरणजीत सिंह अटवाल को इस सम्माननीय सभा का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। हम सभी को ज्ञात है कि उन्हें संसद और राज्य विधानसभा में कार्य का अनुभव प्राप्त है। मैं आशा करता हूं कि उनका अनुभव इस सभा के सभी सदस्यों और मेरे लिए लाभप्रद साबित होगा।

यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अकाली दल जैसे छोटे दल के सदस्य को इस सम्माननीय सभा का उपाध्यक्ष बनने तथा एक अति-महत्वपूर्ण पद पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे विचार से यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है।

अध्यक्ष महोदय, इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं अपने दल, मिजो नेशनल फ्रंट तथा अपनी ओर से आपको अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं क्योंकि उस दिन आपको बधाई देने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री, माननीय विपक्ष के नेता और माननीय सदस्यों, आज हमें प्रसन्नता है कि हमने श्री चरणजीत सिंह अटवाल, जो इस सभा के सदस्य हैं और पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं, को सर्वसम्मति से चौदहवीं लोक सभा के उपाध्यक्ष के उच्च पद पर चुना है। इस अवसर पर, मैं उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

मैं सभी राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सम्मानीय सभा की परंपराओं को बनाए रखते हुए दलगत संबद्धता से ऊपर उठकर उपाध्यक्ष के रूप में श्री अटवाल के सर्वसम्मत चुनाव को संभव बनाया। मुझे विश्वास है कि प्रेरणादायक एकजुटता के साथ-साथ ऐसी लोकतांत्रिक भावना से सभा के सुचारू कार्यकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

माननीय सदस्यों, चौदहवीं लोक सभा, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानदंडों के प्रति नई वचनबद्धता के साथ तैयार है। गठबंधन शासन के पक्ष में मिले जनादेश से हमें यह पता चलता है कि हमारी जनता सभी को साथ लेकर, चलने वाली विचाराधारा में विश्वास रखती है, जिसका उद्देश्य सभी का कल्याण, प्रगति और विकास है। हम सभी देश की जनता के कारण यहां उपस्थित है, जिन्होंने हमें एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समृद्ध भारत बनाने की महान जिम्मेदारी सौंपी है।

किसी भी लोकतंत्र की प्रभावकारिता, मुख्यत: विधायिका की जीवन्तता पर निर्भर करती है। इससे, विधायिका में निष्पक्ष और निर्भीक चर्चा हो पाती है, जो इस प्रणाली की सफलता के लिए अत्यधिक प्रभावी माध्यम है। कार्यवाही में संसद का संतुलित प्रदर्शन ही स्वस्थ चर्चा के लिए स्वस्थ संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकता है। इसमें, विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी, सभा में व्यक्त किए जाने वाले विभिन्न विचारों और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की महान जिम्मेदारी निभाते हुए एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वास्तव में, हम सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक के साथ-साथ अपनी शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के संरक्षक भी हैं। हमें सभा में उठाई जाने वाली वास्तविक समस्याओं और शिकायतों के प्रति अपनी व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए स्वतंत्रता की रक्षा करना और इसे अनुशासित करना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी विधायिकाएं, आपसी सम्मान और शिष्टता के साथ समाज के विभिन्न हितों और ताकतों को एकजुट करने का कार्य करें।

इस पृष्ठभूमि में, श्री चरणजीत सिंह अटवाल उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुने गए हैं। यह, सद्भावना, बुद्धिमता और उनके द्वारा संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किए गए विभिन्न योगदानों के प्रति सम्मान है। श्री अटवाल उत्साहपूर्ण पंजाब राज्य से हैं और फिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 1977 में वह पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गए थे और 1985 में आठवीं लोक सभा के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने पंजाब विधान सभा में अध्यक्ष के रूप में इसके विविध कार्यकलापों का सक्रिय मार्गदर्शन किया और इस सभा की कार्यवाही को अनुशासित तरीके से चलाने में उनके इस अनुभव का लाभ हमें अवश्य प्राप्त होगा। इस सम्माननीय पद पर उनके सर्वसम्मति से चुने जाने से न केवल इस पद की गरिमा बढ़ी है, बल्कि इस सभा का सम्मान भी बढ़ा है।

हमें विश्वास है कि ग्रामीण समाज के विकास, कमजोर वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक समानता के क्षेत्र में उनका अनुभव और ज्ञान, संसदीय चर्चाओं के स्तर को बेहतर करने में अत्यधिक सहायक होगा।

मुझे विश्वास है कि अपनी राजनीतिक कुशाग्रता, निपुणता और लम्बे अनुभव से श्री अटवाल संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में निश्चित रूप से अपने लिए एक विशेष स्थान बनाएंगे।

श्री अटवाल जी, मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं तथा दृढ़ता एवं प्रभाविता से कार्य करने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अध्यक्ष के रूप में मैं और उपाध्यक्ष के रूप में आप सभा में सोच, कार्य और आचरण की स्वतंत्रता को अधिक गरिमापूर्ण तथा मर्यादापूर्ण तरीके से बनाए रखने के लिए अच्छे सहयोगी साबित होंगे। वास्तव में, बंगाल और पंजाब के बीच स्वाभाविक घनिष्ठता है। मैं आशा करता हूं कि हम दोनों संसद को सुदृढ़ करने और उसे महान ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक दूसरे के निकट सहयोग से कार्य करेंगे, जिससे राष्ट्र को हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर गर्व होगा।

पूर्वाह्न 11.57 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय और सदस्यों का धन्यवाद

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व प्रथम मैं उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस सम्माननीय सदन को उपाध्यक्ष के रूप में संबोधित करने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी, माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी, माननीय लोक सभा के नेता प्रणब मुखर्जी, माननीय विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, अन्य पार्टियों के नेतागण तथा माननीय सदस्यगण, उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने पर आप सबकी शुभकामनाएं मेरे लिए एक महान गौरव का विषय है। इस संवैधानिक

पद पर सर्वसम्मति से चुनकर लोक सभा के सदस्यों ने मुझे एक महान गौरव प्रदान किया है। इस सम्मान के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मेरे बारे में व्यक्त किए गए स्नेहपूर्ण विचारों ने मुझे वास्तव में अभिभूत किया है। वास्तव में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त करूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मुझे जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है मैं उसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मुझमें जो विश्वास व्यक्त किया गया है उस पर पूरा उतरने का मैं भरसक प्रयास करूंगा।

मित्रों, यद्यपि मैं इस सदन के उपाध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया हूं, तथापि संसदीय संस्थाएं तथा संसदीय प्रक्रियाएं मेरे लिए नई नहीं हैं। मैं इस सदन का भी सदस्य रहा हूं तथा पंजाब विधान सभा का अध्यक्ष होने का भी मुझ सौभाग्य मिला। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तथा मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित की गई महान परंपराएं मुझे मेरे कर्त्तव्यों के निर्वहन तथा इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा बनाए रखने में मार्गदर्शन करेंगी।

इस अवसर पर मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को उनका सर्वसम्मति से लोक सभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस सदन को चलाने में मेरा पूरा-पूरा सहयोग मिलता रहेगा।

मैं सभी माननीय सदस्यों को, जिन्हें इस सभा, जो कि विश्व के सबसे बड़े कार्यकारी लोकतंत्र का लोकप्रिय सदन है, के लिए चुने जाने का सौभाग्य तथा सम्मान प्राप्त हुआ है, उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि अपने कर्त्तव्यों के कुशल तथा निष्पक्ष निर्वहन में मुझे आपका सहयोग मिलता रहेगा।

मित्रों, विधायिकाएं लोकतंत्र की ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था होने के कारण उन्हें देश की अन्य संस्थाओं तथा संगठनों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करना चाहिए तथा कार्य, अनुशासन और गरिमा के उच्च स्तर स्थापित करने चाहिए। मेरा विश्वास है कि विधायिका की विश्वसनीयता इसके सदस्यों की भूमिका तथा व्यवहार से जुड़ी हुई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

जन प्रतिनिधियों के रूप में, उनसे सभा के अंदर तथा बाहर गरिमा के उच्च स्तर तथा सभा की मर्यादा बनाए रखने की आशा की जाती है।

वाद-विवाद तथा चर्चाएं संसदीय लोकतंत्र के प्राण हैं। इसलिए इस सभा के सभी वर्गों को उनके विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि विचाराधीन विषय पर माननीय सभा के सामने विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया जा सके।

मिली-जुली सरकारों के इस युग में सभा के समय का प्रबंधन काफी महत्वपूर्ण है तथा सभा की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई अवसरों पर जटिल मुद्दों के संबंध में नेताओं तथा सदस्यों में परस्पर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण गतिरोध पैदा हो जाता है, जिन्हें मेरे विचार से सभी राजनैतिक दलों और समूहों के नेताओं से नियमित विचार-विमर्श और बातचीत से सुलझाया जा सकता है।

हम सब जनप्रतिनिधि हैं तथा ये हममें से प्रत्येक का कर्त्तव्य है कि हम ऐसा व्यवहार करें जिससे इस सम्माननीय सदन की गरिमा बढ़े तथा इसे प्रभावशाली ढंग से चलाया जा सके।

माननीय सदस्यगण, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक उल्लेखनीय प्रगति करने के बावजूद हमारा देश अभी भी गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं आदि से जूझ रहा है। यदि हमें अपने लोगों को इज्जत की जिंदगी देनी है तो इन सब समस्याओं पर इस सदन में चर्चा करके उन्हें सुलझाना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने निस्वार्थ सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, तथा डा. अम्बेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के निर्माताओं में से एक हैं, उन्होंने जो सामाजिक न्याय तथा दलित अधिकारिता के लिए संघर्ष किया, वह हमें गरीब तथा दबे कुचले देशवासियों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता, रहेगा।

संसद लोगों की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को परिलक्षित करती है तथा सरकार को राष्ट्र के चहुंमुखी विकास में भूमिका निभाने में अर्थपूर्ण परामर्श, मार्गदर्शन तथा सुझाव देती है। इस दिशा में प्रत्येक संसद सदस्य की भूमिका तथा योगदान महत्वपूर्ण है।

माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में आपके सहयोग की आशा करता हूं। इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में माननीय सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करना मेरा सर्वप्रथम कर्त्तव्य होगा।

मैं इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जो कि भारतीय लोकतंत्र का ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी लोकतंत्रों के लिए पुण्यतम स्थान है। आप सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए मैं इस महान राष्ट्र के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपमें विश्वास व्यक्त किया, ताकि आप आपके प्रतिनिधित्व से आप संविधान को और अधिक निष्पक्ष बना सकें तथा लोगों के जीवनस्तर में 'उल्लेखनीय सुधार आ सके।

इन शब्दों के साथ मुझमें विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं आप सबको पुन: धन्यवाद देता हूं

अध्यक्ष महोदय, आने वाले दिनों में मैं आपके साथ, आपके पूर्ण सहयोग से कार्य करने की आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

एयर स्ट्राइक डिले कॉस्ट लाइव्स : कारगिल रिपोर्ट संबंधी समाचार

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री प्रणब मुखर्जी वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दागी मंत्रियों का जो मामला है, पहले वह तय होना चाहिए।...*(व्यवधान)* जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा। तब तक कोई स्टेटमैंट वगैरह नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के बारे में आकृष्ट किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं। वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मेरा ध्यान उस लेख की ओर दिलाया गया है जो यह संकेत देता है कि तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व द्वारा निर्णायक कार्रवाई के अभाव में भारतीय सेना को 474 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा था और इससे पाकिस्तान को प्रारंभिक लाभ भी हुआ। इस मामले के तथ्यों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है।

कारगिल में घुसपैठ होने की पहली सूचना 03 मई, 1999 को सेना प्राधिकारियों की जानकारी में आई। 25 मई, 1999 और 26 जुलाई, 1999 के बीच सुरक्षा संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को, घट रही विभिन्न घटनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। 26 जुलाई, 1999 को कारगिल ऑपरेशन बंद होने की औपचारिक घोषणा कर दी गई।

प्रत्येक युद्ध की तरह कारगिल युद्ध में भी, भारतीय सेना ने कारगिल में युद्ध जैसी स्थिति से संबंधित घटनाओं का रिकॉर्ड रखने तथा सफलताओं-विफलताओं और कमियों एवं सामर्थ्य का विश्लेषण करने के लिए सितंबर, 2000 में छ: खण्डों की एक वर्गीकृत रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट का एक संक्षिप्त रूप तैयार करने का कार्य जुलाई, 2003 में शुरु किया गया और जनवरी, 2004 में यह कार्य पूरा कर लिया गया। यह रिपोर्ट उन्नयन परीक्षाओं में अभियान अध्ययन के उद्देश्य से तैयार की जाती है। चूंकि ये दस्तावेज प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आंतरिक इस्तेमाल हेतु तैयार किए गए हैं, इसलिए इन रिपोर्टों की तैयारी में रक्षा मंत्रालय को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया गया है।

इस 'आंतरिक रिपोर्ट' में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि सेना द्वारा 08 मई, 1999 से वायुसेना की तैनाती की मांग किए जाने के बावजूद सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने यह मंजूरी 25 मई, 1999 को प्रदान की। इस अवधि के दौरान वायुसेनाअध्यक्ष का यह विचार रहा कि इतनी ऊंचाई पर हवाई शक्ति का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि हेलिकॉप्टरों को अत्यधिक नुकसान हो सकता था तथा इससे संघर्ष के बढ़ जाने का खतरा था। उनका विचार था कि हवाई शक्ति का इस्तेमाल करने से पूर्व राजनीतिक अनुमति प्राप्त कर ली जाए और अंतत: यह 25 मई, 1999 को प्राप्त कर ली गई।

माननीय सदस्य उन परिस्थितियों से अवगत ही हैं जिनके अंतर्गत पुनरीक्षा समिति, जो सुब्रमण्यम, समिति के नाम से भी विख्यात है, का तत्कालीन सरकार द्वारा 29 जुलाई, 1999 को गठन किया गया था। कारगिल रिपोर्ट की प्रति पहले से ही माननीय सदस्यों के पास उपलब्ध है। तत्कालीन सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था तथा साथ ही सुब्रमण्यम् समिति की सिफारिशों की गहन जांच करने के लिए चार अन्य कार्य-दलों का भी गठन किया गया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमण्डल समिति ने मई, 2001 में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान कर दिया था तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधिकांश उपायों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

हिन्दुस्तान टाइम्स के लेख में उठाए गए प्रश्नों में एक प्रश्न यह है कि 474 हताहतों को बचाया जा सकता था यदि हवाई शक्ति का इस्तेमाल प्रारंभ से ही कर दिया जाता। काश वहां पर कोई भी हताहत नहीं हुआ होता। तथापि, मुझे बताया गया है कि 08 मई तथा 25 मई, 1999 के बीच हताहतों की संख्या 35 थी। 26 मई, 1999 को कारगिल ऑपरेशन समाप्त होने अर्थात् 26 जुलाई, 1999 तक हताहतों की संख्या 439 (वायुसेना के 6 अधिकारियों सहित) थी। इस प्रकार हताहतों की कुल संख्या 474 है। यह देखा जा सकता है कि हवाई शक्ति की तैनाती की अनुमति प्रदान करने में लिया गया समय हताहतों की अधिक संख्या का कारण नहीं था। आखिरकार, यह एक कठिन युद्ध था जिसे असुविधाजनक स्थिति में रहते हुए लड़ा गया। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अदम्य साहस और युद्ध-कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को खदेड़ दिया और युद्ध में विजय हासिल की।

हवाई शक्ति के उपयोग के संबंध में सेना ने 08 मई, 1999 को दुश्मन के विरुद्ध उपयोग के लिए आक्रामक हेलीकॉप्टरों तथा सैन्य टुकड़ियों को लाने-ले-जाने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी मांग की थी। इस पर 12 और 17 मई, 1999 के बीच विचार किया गया और इस विकल्प का उपयोग न करने का निर्णय लिया गया क्योंकि इससे बात और बढ़ सकती थी।

उस समय की स्थिति का पूरी तरह तथा गहराई से जायजा लेने के बाद, 25 मई, 1999 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय वायुसेना तैनात किए जाने का निर्णय लिया। अंततः 25 मई, 1999 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने हवाई शक्ति के उपयोग की अनुमति दे दी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, अब हम 'शून्य काल' शुरू करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप 'शून्य काल' नहीं चाहते है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।***]**

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन कई सूचनाएं प्राप्त हुई है। आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन सभी मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं?

(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग का गठन करने तथा उनकी अन्य शिकायतों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री अजय माकन (नई दिल्ली) : केन्द्र सरकार के कर्मचारी सरकार की वे भुजाएं है जिनके माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई भी सरकार अपने कार्यक्रम और नीतियां लागू करती है। वे विभिन्न भागों से आकर अन्य प्रदेशों में बसते हैं। वे हमारी विस्तृत मातृभूमि के कोने-कोने में फैले हुए हैं। उनके साथ वे अपनी भाषा, समृद्ध संस्कृति और विरासत का भी प्रचार करते हैं। इस प्रकार वे सच्चे मायनों में राष्ट्रीय अखण्डता के प्रतीक हैं। हमारे समाज के इस वर्ग द्वारा अपने दायित्वों का सक्षमता, कर्मठता और ईमानदारी से निभाया जाना सुनिश्चित करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के इस वर्ग को सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ मिले जो न्यायसंगत और ईमानदारी से आजीविका अर्जन के लिए आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार के कर्मचारी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अतः इस प्रकार की भावना को दूर करने के लिए मैं निम्नलिखित बातें लागू करने का सुझाव देता हूं :

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) छठे वित्त आयोग का गठन, जो कि 1 जनवरी 2003 से लंबित है।

(दो) अनुकंपा आधार पर पदों की सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना।

(तीन) आयकर सीमा बढ़ाना।

(चार) सेवानिवृत्ति आयु में कोई परिवर्तन न करना और सरकारी सेवा में नये आगुंतुकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ बनाये रखना।

[हिन्दी]

(दो) राजस्थान के श्रीगंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के किसानों की वर्ष 1995 में वायुसेना द्वारा अधिगृहीत जमीन का पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में वायुसेना ने 47500 एकड़ भूमि 1995 में केन्द्र सरकार द्वारा एवार्ड किया गया था, परंतु अभी तक मुआवजा नहीं मिला। केन्द्र सरकार तुरन्त मुआवजा जारी करे अन्यथा किसानों को जमीन वापस लौटाई जाए। मुआवजा न मिलने के कारण किसान बरबाद हो गया है तथा वह कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकता।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों को मुआवजा तुरन्त जारी करे।

(तीन) उत्तर प्रदेश में बरेली में फतेहगंज पश्चिम तथा मीरगंज में रेलवे ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र बरेली, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (दिल्ली-लखनऊ मार्ग) पर स्थित है, वहां फतेहगंज पश्चिमी और मीरगंज स्थानों पर रेल उपरगामी सेतु की अत्यंत आवश्यकता है। इस संबंध में पहले भी मैं रेल मंत्री से आग्रह कर चुका हूं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अत्यधिक यातायात होने के कारण उक्त दोनों स्थानों पर वाहनों को लम्बे समय तक रुकना पड़ता है और काफी समय बर्बाद होता है।

मेरा रेल मंत्री से आग्रह है कि अत्यधिक यातायात और यात्रियों की असुविधा को देखते हुए बरेली क्षेत्र में फतेहगंज पश्चिमी और मीरगंज में रेल उपरगामी सेतु बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

(चार) राजस्थान के अजमेर-पुष्कर खंड पर बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, लगभग चार वर्ष पूर्व राजस्थान की हृदयस्थली और पर्यटन के लिए विख्यात सुप्रसिद्ध अजमेर नगर को ब्रह्मा जी की पवित्र नगरी पुष्कर से रेल मार्ग से जोड़ने का निश्चय हुआ था, परंतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति के बावजूद भी कार्य की गति अत्यधिक धीमी है और अभी भूमि अवाप्ति का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। ब्रॉडगेज से जुड़ने पर तीर्थराज पुष्कर, जहां प्रतिवर्ष लाखों यात्री देश के कोने-कोन से आते हैं तथा विदेशी पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों की नगरी पुष्कर में आते हैं, के लिए बहुत सुविधा हो जायेगी तथा तीर्थाटन एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

अतः भारत सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि अजमेर पुष्कर की पूर्व स्वीकृत ब्रॉडगेज से जोड़ने की योजना को अविलम्ब युद्धस्तर पर पूरा करवायें।

(पांच) महाराष्ट्र में जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सभी तहसीलों में बी.सी.एन.एल. की मोबाइल टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र जलगांव, महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। केला यहां की प्रमुख कृषि उपज है। यहां से केला समस्त भारत में भेजा जाता है। केले के व्यापारी यहां पर बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन अभी भी भारत संचार निगम की मोबाईल सेवा यहां की सभी तहसीलों में नहीं है। रावेर, यावल, जामनेर तथा मुक्ताईनगर तहसील क्षेत्र मोबाईल सुविधा से वंचित है। जलगांव व भुसावल तहसीलों के सभी गांवों में भारत संचार निगम लि. की मोबाईल सेवा पर्याप्त नहीं है।

अतः मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जलगांव, महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त सभी तहसीलों में भारत संचार निगम लि. की मोबाईल सेवा अविलम्ब शुरू किये जाने हेतु आवश्यक आदेश पारित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(छह) केरल में कासरगोड के मराती समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : महोदय, कासरगोड (केरल) के मराती समुदाय को 1956 में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित

[श्री पी. करूणाकरन]

किया गया था और तबसे वे सभी विधिसम्मत लाभ उठा रहे थे। परंतु बिना किसी उचित जांच पड़ताल या आकलन के 1999 में उसे अनुसूचित जनजातियों की सूची से निकाल दिया गया। केरल सरकार ने इसका विरोध किया और उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में बनाये रखने की सिफारिश की। केरल विधानसभा की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की उप-समिति ने भी इस की सिफारिश की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी उस क्षेत्र के दौरे के बाद यही निर्णय लिया। अनुसूचित जनजातियों की सूची से अनुचित रूप से निकाले जाने के कारण मराती समुदाय के छात्र उन सभी लाभों से वंचित हैं जिन्हें वे 1956 से उठा रहे थे। यह समुदाय आवास निर्माण सहित सभी लाभों से वंचित है।

मराती समुदाय में सभी जनजातीय विशेषताएं हैं— वह पृथक संस्कृति की आदिम जनजाति हैं। वे भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग है और उनका अन्य समुदायों से संपर्क नहीं है, उनका पिछड़ापन भी अलग तरह का है।

मैं संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान कासरगौड के मराती समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए आकर्षित करता हूं।

(सात) जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 16 अप्रैल, 2004 को अधिसूचना संख्या का.आ. 506 (अ) के माध्यम से जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के अधीन खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट के थैलों के अनिवार्य उपयोग को शत-प्रतिशत से कम कर 60 प्रतिशत और चीनी के लिए 90 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत करने से लाखों जूट उत्पादक और जूट उद्योग के लाखों मजदूर प्रभावित होंगे। कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में जूट पैकेजिंग सामग्री को अनिवार्य बनाए जाने के लिए 9 मई 1987 को जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम प्रख्यापित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25 अप्रैल, 1996 के अपने निर्णय में जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 को वैधता और विधिमान्यता को मान्य ठहराया था।

इसलिए मैं केन्द्र में नई सरकार से अनुरोध करता हूं कि:-

(एक) वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 16 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 506(अ) को वापस लिया जाए।

(दो) यह सुनिश्चित किया जाए कि जूट आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन रहे और जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश 2000 के अधीन जूट सामग्रियों के उत्पादन और आपूर्ति के विनियमन की शक्तियां जूट आयुक्त के पास रहें।

(तीन) भारतीय जूट निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चे जूट की खरीद जारी रखी जाए और इसी तरह बी.टी. विल लिन्कड फार्मूला के अधीन भारतीय जूट निगम द्वारा कच्चे जूट की आपूर्ति भी होती रहे।

(चार) भविष्य में जूट क्षेत्र के विकास के लिए 'जूट संबंधी राष्ट्रीय नीति' बनायी जाए।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश में फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरना नदी से गाद निकालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अतीक अहमद (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर के विधान सभा प्रतापपुर में बरना नदी है, जो कि बारिश के दिनों में बहुत विकराल रूपधारण करती है और इसी स्थल पर कई नहरों का टेल भी है, जिसके कारण आस-पास के गांव एवं किसानों की हजारों एकड़ जमीन पानी में बारह महीने डूबी रहती है, जिसके कारण किसान भुखमरी के कगार पर है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त नदी की सफाई एवं पानी निकासी की समस्या का समाधान सुनिश्चित करायें ताकि किसान अपनी खेती कर सकें।

(नौ) भारत-नेपाल संयुक्त नदी घाटी परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ विभीषिका का शिकार होना पड़ता है, जिसमें जन-धन की व्यापक क्षति होती है। इस क्षेत्र में बहने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल हिमालय की तलहटी है इसलिए इनके पानी को उद्गम स्थान पर रोक कर ही बाढ़ की समस्या से निजात पायी जा सकती है और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। आजादी के बाद भारत की पहली सरकार ने नेपाल सरकार से बात करके उसकी सहमति से जलकुंडी, करनाली तथा भालू बांध परियोजनाओं को प्रस्तावित किया था परंतु लगभग पांच

दशक बीत जाने के बाद भी इन पर काम शुरू नहीं हो सका, जिसका अभिशाप करोड़ों जनता को झेलना पड़ रहा है। मैं इस मान्य सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले में त्वरित और सकारात्मक कदम उठाते हुए इन नदी घाटी परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करावें।

[अनुवाद]

(दस) महाराष्ट्र में सहकारी चीनी उद्योग की सहायता के लिए नई नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, पूरे भारत में चीनी उद्योग विशेषकर सहकारी चीनी उद्योग भारी वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहा है वर्ष 1999 से पूर्व स्थापित और चल रही चीनी मिलों को सम्पत समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की गई थी जबकि बाद में शुरु की गई मिलों को कोई सहायता नहीं दी गई हैं। इसके साथ-साथ चीनी की दरों में भारी बढ़ौतरी के कारण सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों जो महाराष्ट्र में अधिकतर स्थित पर विपत्तिपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

लेवी चीनी दर मुक्त चीनी बिक्री दरों से काफी अधिक है जिसके कारण चीनी मिलों में चीनी के भण्डार एकत्र हो गए हैं।

चीनी मिलों के रूप में 85 रु. प्रतिटिन की दर से उत्पाद और अन्य कर देने पड़ रहे हैं। जिसमें से केंद्र सरकार को 34 रुपये मिलते हैं। इस वित्तीय समस्या से उभरने हेतु इन करों में छूट दी जाए और आठ वर्षों के लिए इसे लौटाया जाए। अब आई.डी.बी.आई./आई.सी.आई.सी.आई. से ऋण नहीं मिलते हैं लेकिन 17 प्रतिशत की दर से बाह्य ऐजेंसियों से ऋण लिया जाएगा।

अत: यह सुझाव दिया गया है कि 1999 के बाद से कार्य कर रही नई चीनी मिलों को सम्यत समिति की सिफारिशों के अनुसार उत्पाद कर, शुल्क, कर छूट और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं।

आपके माध्यम से मैं खाद्य/कृषि मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह चीनी उद्योग की सहायता के लिए नई नीति बनाए।

(ग्यारह) तमिलनाडु में चिदम्बरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा अधिगृहित भूमि के मालिकों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा उनके बच्चों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र चिदंबरम में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लाभ कमाने वाली एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसने पिछले वर्ष 1,200 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन हजारों लोगों द्वारा दी गई भूमि पर ही स्थापित की गई है जिन्हें उस क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, क्षतिपूर्ति करने और नौकरियां देने का वायदा किया गया था।

वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को नौंकरियां दी जाए, उन्हें उचित क्षतिपूर्ति दी जाए और पेयजल और सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति की जाए। इनमें से अभी तक कोई भी काम संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है। लोगों में इस मुद्दे पर आक्रोश है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार एनएलसी को आदेश दे कि वह भूमि से वंचित होने वाले लोगों के लड़के-लड़कियों को रोजगार दे, सिंचाई और पेय जल के लिए जलापूर्ति करे और उन्हें अविलम्ब पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान करे अन्यथा उस क्षेत्र के लोगों को अपनी शिकायतें दूर करने के लिए आन्दोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

(बारह) आंध्र प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, मई, 2004 में आंध्र प्रदेश में सैंकड़ों किसानों ने कृषि प्रयोजनार्थ लिए गए ऋणों से ऋणग्रस्त होने के कारण आत्महत्या की है। यह आश्चर्य की बात है कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा होने के बाद इन आत्महत्यों में घातक वृद्धि हुई है।

मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे संकटों को रोकने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाए तथा कुछ विशेषज्ञों को तत्काल आंध्र प्रदेश भेजें और किसानों की समस्याओं का अध्ययन करें। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से कहना चाहिए कि वह फसल पद्धति परिवर्तनों जैसे दीर्घावधि समाधान करें क्योंकि नि:शुल्क बिजली का अर्थ यह नहीं है कि किसान अपने खेतों में खेती कर सकते हैं। सामान्यत: ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मुद्दा तथा इसने किस तरह किसानों को प्रभावित किया है, की भी जांच की जानी चाहिए।

अत:, मैं पुन: माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्याओं को रोकने के मामले में हस्तक्षेप करें।

(तेरह) पश्चिम बंगाल में दुर्गादुरैई मिनी टाइडल पावर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन वर्ष पूर्व लघु ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए एक विस्तृत

[श्री सनत कुमार मंडल]

परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परियोजना योजना आयोग के पास लंबित पड़ी है। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

परियोजना की अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपये थी और यह सुन्दरबन की पिछड़ी और गरीब जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में ज्वारीय विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। केन्द्र सरकार की इस परियोजना के लिए 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता दे रही है।

परियोजना क्रियान्वित होने पर इस क्षेत्र के अनेक गांवों को फायदा पहुंचेगा। अन्यथा यह क्षेत्र निरंतर ऊर्जा संकट झेल रहा है। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी शीघ्र स्वीकृति हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि यथाशीघ्र कार्य शुरू किया जा सके।

(चौदह) असम सरकार के बाढ़ तथा भू-क्षरण नियंत्रण संबंधी सभी लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान ''बाढ़ और भू-क्षरण'' की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे मुख्यत: असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अनेक अन्य राज्य प्रभावित हो रहे हैं जिसके कारण प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजकोष को भारी नुकसान होता है। इन क्षेत्रों में सभी तरह के विकास क्रियाकलाप बुरी तरह प्रभावित होते हैं और लोगों को बेहद मानवीय संकट झेलने पड़ते हैं। बाढ़ के कारण असम में बार-बार होने वाली तबाही के साथ अत्यधिक भू-क्षरण के कारण प्रतिवर्ष हजारों परिवार बेघर और भूमिहीन हो जाते हैं। हाल के वर्षों में असम में माझुली, सदिया, जोनाई, धाकुखाना, धीमाजी तथा लखीमपुर सहित सादिया से ढुबरी तक अनेक सिविल उप मंडलों को भू-क्षरण के कारण खतरा है।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केवल राज्य सरकारों पर यह भार डालने के बजाय 'बाढ़ और भू-क्षरण' को एक राष्ट्रीय समस्या घोषित करने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। जल संसाधन सहित विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग तथा डी.ओ.एन.ई.आर. में लंबित पड़े सभी बाढ़ नियंत्रण संबंधी प्रस्तावों, दूरी घाट-सिसी-कोलघट-टेकीलीफूटा-बिसमोरा-दक्खिनपट-औतियाती, भीमपोरा से घोन्घापारी तक बने बांध में सुधार, मटोरी चपोरी, कुंडिल नदी, दिरक बुमोनी में कटाव नियंत्रण जैसे प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति दी जानी चाहिए। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को निदेश दिए जाने चाहिए कि वह माझुली द्वीप अनाटा ग़ोला की छेला से गुइजन तक कटाव सुरक्षा जैसे विभिन्न कार्यों को तत्काल पूरा करें।

(पन्द्रह) जम्मू-कश्मीर में औषधि अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदय, कश्मीर प्रांत में औषधीय अनुसंधान प्रयोगशाला क्रियाकलापों के बंद होने से बहुमूल्य जड़ी-बूटियों का अनुसंधान और वाणिज्यिक उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। कश्मीर का वातावरण उच्च मूल्य के औषधीय पादपों के विकास के लिए अनुकूल है। विशेषरूप से घाटी में शिक्षित लोग तथा तकनीकविदों की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत वांछित है कि औषध अनुसंधान के क्षेत्र में अवसर और अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ाया जाए तथा टंगमर्ग तथा कुपवाड़ा क्षेत्रों में औषध अनुसंधान खेती को बंद करने में मामले की समीक्षा की जाए ताकि परखे गए औषधीय पादपों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उगाया जा सके।

अपराह्न 02.0½ बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

संशोधनों का पाठ

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

> ''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा के पारादीप तेल शोधक कारखाने को यथाशीघ्र शुरू किए जाने के आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (3)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

> ''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों विशेषत: उड़ीसा की क्षेत्रीय विसंगतियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (4)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

> ''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाढ़, चक्रवात और सूखे को नियंत्रित करने तथा लोगों की तकलीफों को

कम करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सुंदरवन के जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए इसे एक विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धान तथा अन्य कृषि उत्पादों को औने-पौने दामों में बेचने के कारण किसानों की दयनीय स्थिति तथा इनकी समस्याओं के समाधान हेतु किसी विशेष योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा में पारादीप में तेल शोधन परियोजना, जो वर्षों से लम्बित पड़ी है, को शुरू किए जाने के लिए सरकार की पहल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा जैसे अल्प विकसित राज्यों, जहां देश में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है, के लिए कोई विशेष पैकेज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत सरकार के के.बी.के. योजना में उड़ीसा के कोंधामल जिले, जो भारत का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है तथा जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग रहते हैं को शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में खोर्धा से बोलांगिर को रेल द्वारा जोड़े जाने के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकलांग और मंद बुद्धि लोगों के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों तथा गरीब लोगों, जो ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं तथा आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, को बचाने के लिए उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजनीति के अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार की समस्या और उसका मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह सुनिश्चित करने हेतु, कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित हड़तालों तथा बन्द के कारण आम आदमी पर कोई असर न पड़े, उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हो रही भारी क्षति तथा ऐसी स्थिति से निपटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (49)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषकर सरकार की लघु बचतों में छोटे निवेशकों के हितों के संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक राज्यों में पिछड़े राज्यों को वित्त के प्रवाह तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े राज्यों में कम निवेश किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खनिज बहुल और तटीय राज्यों के औद्योगिकीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े राज्यों, विशेषकर उड़ीसा के विकास के लिए विशेष आर्थिक/वित्तीय पैकेज दिए जाने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (57)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ओडिसी संगीत को शास्त्रीय संगीत घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भुवनेश्वर में सुभाषचन्द बोस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को समय से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (59)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में केंद्रीय सहायता से सड़क सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (60)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पारादीप ऑयल रिफाइनरी को इस योजना अवधि के अंत तक पूरा किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (61)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चक्रवात संभावित क्षेत्रों को विकास के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चक्रवात, बाढ़ अथवा सूखे से पीड़ित किसानों के सभी ऋणों को माफ किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (63)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के संतुलित आर्थिक विकास तथा उड़ीसा को एक विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की उपस्थिति के बावजूद तथा स्वतंत्रता के 57 वर्षों के बावजूद उड़ीसा जैसे कतिपय क्षेत्रों के लगातार पिछड़ेपन के कारणों और उनके उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खनिजों पर रायल्टी में वृद्धि किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पारादीप में इंडियन ऑयल रिफाइनरी का तीव्र गति से निर्माण किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महानदी, कथाजोड़ी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (68)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े राज्यों, विशेषकर बिहार के तीव्र विकास के लिए किसी विशेष पैकेज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाल से बहने वाली नदियों के भारी प्रवाह, जिससे भारी हानि उठानी पड़ती है, को रोकने के लिए नेपाल सरकार के साथ बातचीत शुरू करने तथा नदी के जल के बेहतर प्रबंधन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक समुदाय के दलितों को अनुसूचित जातियों की तरह आरक्षण प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो सके और वे देश के विकास में भागीदार बन सके।" (110)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि के विकास के लिए बंजर और परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादन में भारी अंतर को पाटने के लिए तथा कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने के बारे में किसी समयबद्ध योजना को कोई उल्लेख नहीं है।" (112)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि के विकास के लिए कृषि उत्पाद की लागत को कम करने के लिए किसी लक्षित योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रोजगार के सृजन के लिए उद्योगों और क्षेत्रों का पता लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़े जाने के लिए किसी समयबद्ध कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेहतर जल प्रबंधन के लिए देश की नदियों को जोड़ने के लिए किसी लक्षित योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुशल कर्मकारों, जो वर्तमान में केवल 6 प्रतिशत है में वृद्धि के लिए किसी लक्षित योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समस्त कृषि भूमि को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए किसी समयबद्ध कार्ययोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

[श्री नीतीश कुमार]

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जल की उपलब्धता में वृद्धि के लिए वर्षा जल संरक्षण हेतु देशव्यापी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आम आदमी को सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी समयबद्ध लक्षित कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इराक में मानवाधिकारों के हनन के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (123)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में नई ईंधन नीति के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों विद्युत और कोयले की कीमतों में कमी लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिजली संयंत्रों की स्थापित क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किसी प्रभावी कदम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिजली के वितरण और पारेषण में होने वाले नुकसान जो कि वर्तमान में 50 प्रतिशत तक है को कम करने और इसे विश्व के मानदंड के अनुरूप लाने के लिए किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (126)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के उद्योग, व्यापार और कृषि को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए सस्ते दरों पर ईंधन, परिवहन और पूंजी उपलब्ध कराये जाने और इनकी उपलब्धता सुगम बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (127)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक नीति के अंतर्गत निर्यात के स्थान पर उत्पादन पर अधिक बल दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उपभोक्ता वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किसी समयबद्ध कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ उत्पादन के क्षेत्रों में देश के बड़े विदेशी विनिमय भंडार को निवेश करने के लिए किसी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (130)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने और इसे भ्रष्टाचार मुक्त तथा जनोपयोगी बनाए जाने के लिए किसी प्रभावी कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान और अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित समय-सीमा में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (240)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में करोड़ों बेरोजगार युवाओं को नियमित रोजगार प्रदान करने तथा 'सभी के लिए काम' और 'हर खेत के लिए पानी' प्रदान करने संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (241)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूल चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार करने तथा प्रत्येक राज्य में 'एम्स' जैसे चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शेष गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की किसी राष्ट्रीय योजना तथा पहले से बनी हुई टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के पहले से पाए गए भंडारों का तुरंत दोहन करने, नए पेट्रोलियम भंडारों का पता लगाने तथा राजस्थान में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (244)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक निश्चित समय-सीमा के अंदर पहले से ही स्वीकृत रेल परियोजनाओं को पूरा किए जाने तथा देश में यूनीगेज सिस्टम की शुरुआत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (246)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों के विकास हेतु विशेष सहायता प्रदान करने वाली किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों, विशेषकर अजमेर-मारवाड़ क्षेत्र में केंद्रीय सहायता से उद्योग स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (248)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास, विस्तार तथा रख-रखाव के संबंध में आश्वासन दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अजमेर, जो शिक्षा, पर्यटन तथा धर्म का केंद्र है, में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान में प्रत्येक वर्ष आने वाले सूखे और अकाल की समस्या का समाधान करने संबंधी किसी उपाय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सशस्त्र बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों में राजस्थान के युवाओं की भर्ती करने हेतु विशेष भर्ती अभियान आरंभ करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लाखों भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु किसी ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय जल नीति बनाए जाने और नदियों को आपस में जोड़कर आवश्यक क्षेत्रों में

[प्रो. रासा सिंह रावत]

नदी जल के इष्टतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (282)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय वन संसाधनों की वृद्धि तथा इनके और अधिक विकास तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (283)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय नाभिकीय नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (284)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ रही जनसंख्या पर रोक लगाने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (285)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए ठोस नीति बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (286)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (287)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक विशेष अवधि के पश्चात् राजभाषा हिन्दी से संबंधित संवैधानिक उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में रोजमर्रा के कामकाजों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को अनुमति दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (288)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत के विकास और इसे बढ़ावा दिए जाने के बारे कोई नीति बनाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।'' (289)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में पांच करोड़ राजस्थान के लोगों की मातृभाषा राजस्थानी को शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (290)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकपाल विधेयक को पारित करके इसके अंतर्गत लोकपालों की नियुक्ति करके भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के ठोस उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (291)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान, जो सबसे अधिक सूखा पीड़ित राज्य है और थार रेगिस्तान जिसका एक हिस्सा है, को विशेष आर्थिक पैकेज देने के आश्वासन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (292)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजस्थान के गांवों में, जहां फ्लोराइड मिश्रित पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, में एक निर्धारित समय सीमा के अंदर पीने के पानी की समस्या हल करने के बारे में किसी ठोस योजना बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (293)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में, विशेषत: अरावली के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज सम्पदा की खोज, उसके दोहन और खनन के बारे में कोई नीति बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (294)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए किसी

ठोस राष्ट्रीय युवा नीति बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (295)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

''किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते आतंकवाद से दृढ़ता से निपटने के लिए पोटा को निरस्त करने के बाद इसका कोई ठोस विकल्प देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (296)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दागी मंत्रियों का मामला पहले लिया जाए।...*(व्यवधान)* दागी मंत्रियों को हटाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा गुरुवार, 10 जून, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 जून, 2004/ 20 ज्येष्ठ, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/1/6/2004 (एन०)
280

©2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।